बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–AR/1/2025-SEC_8B -...../–श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, प्रतिनियुक्त उत्पाद कार्यालय, जमुई द्वारा बिना किसी विभागीय आदेश के तथा प्रतिनियुक्त कार्यालय में इनके नियंत्री पदाधिकारी से बिना अवकाश/स्वीकृति लिए दिनांक–03.10.2023 को जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर के वेश्म में उपस्थित होकर जिला अवर निबंधक, भोजपुर से अपना योगदान जबरन स्वीकृत कराने हेतु दबाव बनाया गया जबकि उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने का अथवा तत्संबंधी कोई विभागीय आदेश निर्गत नहीं था। जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा योगदान स्वीकृति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जिला अवर निबंधक, भोजपुर से काफी उग्र एवं अशोभनीय व्यवहार किया गया जिसके कारण श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, प्रतिनियुक्त उत्पाद कार्यालय, जमुई का उपरोक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित सुसंगत धारा के प्रतिकूल पाये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक–5746 दिनांक–09.11.2023 द्वारा अधीक्षक मद्यनिषेध, जमुई के माध्यम से श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसके अनुपालन में श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया कि जिला अवर निबंधक कार्यालय, भोजपुर में किसी अन्य मामले की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपस्थित था, परंतु वहॉ किसी प्रकार का कोई अनुचित व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनका स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा किया गया, जिसमें पाया गया कि आरोपी कर्मी को उनके तत्कालीन नियंत्री पदाधिकारी उत्पाद अधीक्षक, जमुई के द्वारा लिफाफा के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग, पटना में उपस्थित होने का पत्र दिया गया था एवं उन्हें राज्य सूचना आयोग, पटना में उपस्थित होना था, किन्तु आरोपी कर्मी द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर में उपस्थित होकर जिला अवर निबंधक, भोजपुर के साथ काफी उग्र होकर अशोभनीय व्यवहार किया गया जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के संदर्भ में प्रमाणित आरोप के फलस्वरूप श्री कुमार को विभागीय आदेश–4603 दिनांक–08.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष–2023–24) का अधिरोपित दण्डादेश संसूचित किया गया जिसके विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–13.11.2025 को सुनवाई की गयी।

2 अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचिका/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, (भभुआ) द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के संदर्भ में समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–4603 दिनांक 08.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष–2023–24) का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

12.03.26

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रक्रियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

4. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि उन्हे लघु दण्ड के रूप में अधिरोपित एवं संसूचित निन्दन (आरोप वर्ष 2023–24) का दण्ड से मुक्त किया जाय।

5. जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा किया गया, जिसमें पाया गया कि आरोपी कर्मी को उनके तत्कालीन नियंत्री पदाधिकारी उत्पाद अधीक्षक, जमुई के द्वारा लिफाफा के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग, पटना में उपस्थित होने का पत्र दिया गया था एवं उन्हें राज्य सूचना आयोग, पटना में उपस्थित होना था, किन्तु आरोपी कर्मी द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर में उपस्थित होकर जिला अवर निबंधक, भोजपुर के साथ काफी उग्र होकर अशोभनीय व्यवहार किया गया, इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के प्रतिकूल कार्य किया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

6. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमुर, (भभुआ) के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमुर, (भभुआ) के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– AR/1/2025-SEC_8B 1621 /– पटना, दिनांक– 13.03.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा)/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, कैमुर, (भभुआ)/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, (आरा)/जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमुर, (भभुआ)/जिला अवर निबंधक, भोजपुर, (आरा)/जिला अवर निबंधक, कैमुर, (भभुआ)/उत्पाद अधीक्षक, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमुर, (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

13.03.26